नये कानूनों के साथ होगा न्याय

3 नए अपराधिक कानूनों से होगा बड़ा परिवर्तन : शाह

जयपुर 13 अक्टूबर. केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जीवन जीने में आसानी (ईजऑफलिविंग) के लिए देश में बहुत सारे परिवर्तन किए हैं और तीन नए आपराधिक कानूनों पर अमल के साथ ही न्याय में आसानी में भी बहुत बड़ा परिवर्तन होगा.

शाह सोमवार को यहां इन नये कानूनों पर लगाई प्रदर्शनी का उद्घाटन एवं 9300 करोड़ के विभिन्न विकास कार्यों के लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम के अवसर पर अपने संबोधन में यह बात कही. उन्होंने कहा कि आज यहां देश की आपराधिक न्याय प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन करने वाले और संविधान प्रदत्त अधिकारों को देश की जनता को सुलभ तरीके से उपलब्ध कराने वाले तीन नए आपराधिक कानूनों का परिचय कराने वाली एक अत्याधुनिक प्रदर्शनी शुरू हो रही है. उन्होंने कहा कि आपराधिक न्याय प्रणाली से जुड़े सभी लोगों को यह प्रदर्शनी ज़रूर देखनी चाहिए क्योंकि आने वाले दिनों में हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली में होने वाले बहुत बड़े परिवर्तनों को इस प्रदर्शनी में बहुत सटीक तरीके से दिखाया गया है. उन्होंने कहा कि इस प्रदर्शनी के माध्यम से लोग जान सकेंगे कि 160 साल पुराने कानूनों को समाप्त कर मोदी जो तीन नए कानून लाए हैं, उनके पूर्णत: लागू होने के बाद किसी भी एफआईआर में तीन साल में न्याय मिल सकेगा. शाह ने कहा कि नए आपराधिक कानून देश की जनता को समय पर, सुलभ तरीके से न्याय देने का काम करेंगे. शाह ने कहा कि तीन नए कानूनों के माध्यम से हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली दंड की जगह न्याय से प्रेरित होकर काम करेगी.

किसानों की पूरी फसल एमएसपी पर होगी खरीद : गृह मंत्री

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि मोदी सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नाफेड) और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ पर रजिस्ट्रेशन कराने वाले किसानों की शत प्रतिशत तूर, मसूर और उड़द की फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने का निर्णय लिया है. शाह सोमवार को यहां तीन नये कानूनों पर लगाई गई प्रदर्शनी का उद्घाटन एवं उसके बाद आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे. उन्होंने कहा कि जो किसान नाफेड और एनसीसीएफ पर रजिस्ट्रेशन करते हैं.

'वोट चोरी' वाले आरोपों से जुड़ी याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज

नई दिल्ली. कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कुछ समय पहले कर्नाटक चुनाव में धांधली का आरोप लगाया था. बेंगलुरु सेंट्रल समेत कई विधानसभाओं में वोट चोरी का दावा किया गया था, जिसकी जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी. हालांकि, अदालत ने इस याचिका को सिरे से खारिज कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में रिटायर्ड जस्टिस की अगवाई में स्पेशल इंवेस्टिगेशन टीम (एसआईटी) बनाने की मांग की गई थी, जो इस पूरे मामले की जांच करती. मगर, सर्वोच्च न्यायालय ने याचिका खारिज कर दी है.

सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाला बागची ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि यह मामला चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में आता है, इसलिए चुनाव आयोग के सामने यह मुद्दा उठाना चाहिए. हमने याचिकाकर्ता के वकील की बात सुनीं.

मानव संसाधन विभाग एवं क्रेच का उद्घाटन

- डॉ.पांडे क्रेच को किया संचालित
- माजरी क्षेत्र के दौरे पर पूर्ण महिलाओं द्वारा संचालित

नागपुर, 13 अक्टूबर. वेकोलि के निदेशक (कार्मिक) डॉ. हेमंत शरद पांडे ने माजरी क्षेत्र का दौरा किया. उन्होंने एकोना खदान में महिला-केंद्रित मानव संसाधन विभाग का उद्घाटन किया. यह एक विशिष्ट पहल है, जिसका संचालन पूर्णत: महिला कर्मियों द्वारा किया जाएगा.

साथ ही, उन्होंने माजरी के क्षेत्रीय कार्यालय तथा एकोना उपक्षेत्र में क्रेच (पालना-घर) का उद्घाटन किया. इस पहल से कार्यस्थल पर बच्चों के देखभाल एवं वर्क-लाइफ बैलेंस को बढ़ावा मिलेगा.

अपने दौरे में पांडे ने एकोना खदान का निरीक्षण किया तथा विभागीय एवं ठेका कर्मियों से संवाद किया. उन्होंने उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मियों को सम्मानित भी किया. इस दौरान वेकोलि मुख्यालय के महाप्रबंधक (सीएसआर/कल्याण) जी. सीतारामन, माजरी क्षेत्र के क्षेत्रीय महाप्रबंधक अविनाश प्रसाद, क्षेत्र के विभागाध्यक्ष, अधिकारी, कर्मचारी, क्षेत्रीय जेसीसी एवं कल्याण समिति के सदस्य आदि बड़ी संख्या में उपस्थित रहे.

पंजाब में किसानों को अधिक मुआवजा

नयी दिल्ली, 13 अक्टूबर. आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को कहा कि पंजाब सरकार ने बाढ़ पीड़ित किसानों को फसलों का मुआवजा पूरे देश में सबसे ज्यादा और सबसे तेज गति से देना शुरू किया है. केजरीवाल ने एक्स पर कहा पंजाब में भगवंत मान की सरकार ने एक और ऐतिहासिक काम कर दिखाया है.

पंजाब में बाढ़ प्रभावित परिवारों और किसानों को आज तक का सबसे ज्यादा और सबसे तेज़ मुआवजा दिया है. सिर्फ 30 दिन के अंदर ही 20 हजार प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा किसानों के खाते में आना शुरू हो गया है. ये सिर्फ अच्छी नीयत वाली एक ईमानदार सरकार ही कर सकती थी. हमने कर दिखाया. आप के वरिष्ठ नेता एव पंजाब के प्रभारी मनीष सिसोदिया ने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा देने के मामले में ऐतिहासिक काम किया है. देश में सबसे ज़्यादा मुआवजा का ऐलान किया और फिर सबसे तेज़ी से लोगों तक पहुंचाना भी शुरू कर दिया.

> पहले बाढ़ जैसी आपदा आने पर लोग कई-कई साल तक मुआवजा के लिए धक्के खाते थे और मिलता क्या था? पुरानी सरकारों की दो रुपए, 100 रुपए का मुआवजा दिए जाने की भी खबरें देखी गयी हैं. उन्होंने कहा कि भगवंत मान सरकार ने सबसे ज्यादा मुआवजा दिया है और सबसे तेजी से दिया है. आज से पंजाब में बाढ़ पीड़ित किसानों को मुआवजा मिलना शुरू हो गया है और इस महीने के अंत तक सबको मुआवजा मिल भी जाएगा.

जगदीप सिंह चीमा समर्थकों सहित भाजपा में हुए शामिल

चंडीगढ़. पंजाब में तरनतारन विधानसभा सीट के उपचुनाव से पहले शिरोमणि अकाली दल के पूर्व महासचिव एवं फतेहगढ़ साहिब से अकाली दल के वरिष्ठ नेता रहे जगदीप सिंह चीमा सोमवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी, पंजाब भाजपा अध्यक्ष अश्वनी शर्मा और केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू की उपस्थिति में अपने समर्थक सहित भाजपा में शामिल हुए. जगदीप सिंह चीमा का भाजपा में शामिल होना अकाली दल के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है. जगदीप चीमा फतेहगढ़ साहिब जिले से अकाली दल के जिला प्रभारी रहे हैं. वह 2012 और 2022 में पार्टी की सीट से विधानसभा चुनाव लड़ चुके है. दोनों ही बार वह हालांकि चुनाव नहीं जीत पाए थे.

बुलेट ट्रेन का बिलिमोरा स्टेशन का निरीक्षण

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने की परियोजना प्रगति की समीक्षा

भोपाल, 13 अक्टूबर. केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के निर्माणाधीन बिलिमोरा बुलेट ट्रेन स्टेशन का निरीक्षण किया. उनके साथ वलसाड के सांसद धवल पटेल और विधायक नरेश पटेल भी उपस्थित रहे.

मंत्री ने स्टेशन के निर्माण कार्यों, ट्रैक बिछाने और यात्री सुविधाओं की प्रगति की समीक्षा की. आम के बागानों से प्रेरित स्टेशन का फसाड स्थानीय पहचान को दर्शाता है. आधुनिक स्टेशन में वेटिंग लाउंज, शौचालय, लिफ्ट, एस्केलेटर, रिटेल आउटलेट जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं. स्टेशन परिसर में हरियाली, ईवी पार्किंग तथा वर्षा जल संचयन और ऊर्जा दक्षता जैसी ग्रीन बिल्डिंग विशेषताएँ भी शामिल की गई हैं.

बिलिमोरा स्टेशन में दो प्लेटफॉर्म, चार ट्रैक और 425 मीटर लंबा हाई-स्पीड प्लेटफॉर्म होगा. स्ट्रक्चरल कार्य पूर्ण हो चुका है और आर्किटेक्चरल फिनिशिंग तथा एमईपी कार्य प्रगति पर हैं. ट्रैक निर्माण में रेल लेइंग कार का उपयोग किया जा रहा है, जिससे ट्रैक बिछाने में उच्च सटीकता और दक्षता सुनिश्चित हो रही है.

केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी ने की इस्तीफे की पेशकश

तिरुवनंतपुरम. केंद्रीय मंत्री और मलयालम फिल्म अभिनेता सुरेश गोपी ने एक बार फिर मंत्री पद छोड़ने की इच्छा जताई है. उन्होंने सिनेमा में पूर्णकालिक वापसी का संकेत दिया है. सुरेश गोपी केरल से भाजपा के पहले लोकसभा सांसद हैं. वह अभी केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस तथा पर्यटन राज्य मंत्री हैं. वह कन्नूर में एक पार्टी कार्यक्रम में बोल रहे थे. उन्होंने यहां कहा कि मैं अपना फिल्मी करियर छोड़कर कभी मंत्री नहीं बनना चाहता था. उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में उनकी आय में काफी कमी आई है. सुरेश गोपी ने कहा कि उन्होंने चुनाव से एक दिन पहले भी मीडिया को बताया था कि वह मंत्री नहीं बनना चाहते और फिल्में करते रहना चाहते हैं.

एक नजर में

अवैध रूप से रह रहे छह अफ्रीकी नागरिक गिरफ्तार

नयी दिल्ली. दिल्ली के बाहरी जिले की पुलिस ने अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए छह अफ्रीकी नागरिकों को गिरफ्तार किया है. यह कार्रवाई निहाल विहार थाना क्षेत्र में की गई, जहां पुलिस की गश्ती टीम ने सतर्कता दिखाते हुए सभी को मौके पर पकड़ लिया. बाद में सभी को कानूनी प्रक्रिया के तहत विदेशी नागरिक सीधे संबंधित नागरिक प्राधिकरण (एफआरआरओ) को सौंप दिया गया है ताकि उनके निर्वासन की कार्रवाई पूरी की जा सके. पुलिस उपायुक्त सचिन शर्मा ने सोमवार को बताया कि दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों की बढ़ती शिकायतों को देखते हुए अभियान तेज किया गया है .निहाल विहार थाने की टीम ने 10 अक्टूबर को चंदर विहार इलाके में गश्त कर रही थी. इसी दौरान टीम को सूचना मिली कि कुछ विदेशी नागरिक बिना वैध दस्तावेजों के एक मकान में रह रहे हैं. सूचना मिलते ही टीम ने तत्परता से छापा मारा. पुलिस को देखकर सभी छह विदेशी नागरिक भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन पुलिस ने उन्हें मौके पर ही पकड़ लिया. पूछताछ में उन्होंने अपने पासपोर्ट और वीजा दस्तावेज दिखाने में असमर्थता जताई.

दुर्गापुर गैंगरेप : तीसरी गिरफ्तारी, सख्ती बढ़ी

कोलकाता. पश्चिम बंगाल की सुर्खियों में छाई दुर्गापुर गैंगरेप मामले में आज एक और नया मोड़ सामने आया है. इस संवेदनशील कांड में अब तक तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है - जिसमें पीड़िता के साथ पढ़ने वाला एक छात्र भी शामिल है. न्याय व्यवस्था को द्रुत गति देने की दिशा में स्थानीय अदालत ने सभी आरोपियों को दस दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है. दुर्गापुर नाम अब सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि न्याय की याचना बन चुका है. हर खुलासे ने मामले को और जटिल कर दिया है — लेकिन एक बात तय है- अब तक की निष्क्रियता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

आईपीएस ने सुसाइड से पहले कई अफसरों से की बात

चंडीगढ़, 13 अक्टूबर. आईपीएस आत्महत्या मामले में नया खुलासा हुआ है. पुलिस को कॉल डिटेल से नए सुराग मिले हैं. सूत्रों के अनुसार, आत्महत्या से पहले आईपीएस ने कई अधिकारियों, अपने वकील और कुछ परिचितों को कॉल की थी. एसआईटी ने इन कॉल डिटेल्स को जांच का हिस्सा बनाते हुए बातचीत के क्रम और समय की बारीकी से पड़ताल शुरू कर दी है.

सूत्रों का कहना है कि जिन लोगों से आईपीएस ने आखिरी बार बातचीत की थी, उनसे जल्द पूछताछ की जा सकती है. जांच टीम यह पता लगाने की कोशिश में है कि क्या इन वार्तालाप में कोई ऐसा दबाव या तनाव झलक रहा था जिसने उन्हें यह कदम उठाने पर मजबूर किया. एसआईटी ने हरियाणा पुलिस से जेल में बंद एडीजीपी के गनमैन के खिलाफ दर्ज एफआईआर का पूरा रिकॉर्ड मांगते हुए पत्र लिखा है. सूत्रों के अनुसार एसआईटी जल्द ही अदालत से अनुमति लेकर रोहतक जेल में बंद गनमैन सुशील से पूछताछ कर सकती है. इंस्पेक्शन में पता चला है कि शराब ठेकेदार की ओर से लगाए गए अवैध वसूली के आरोप के बाद गिरफ्तार गनमैन ही स्पष्ट कर सकता है.

अर्थशास्त्र के क्षेत्र में तीन को नोबेल पुरस्कार

साइंसेज ने जोएल मोकिर,फिलिप अघियन और पीटर होविट को देने की घोषणा

स्टॉकहोम, 13 अक्टूबर. रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने सोमवार को साल 2025 के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल सम्मान जोएल मोकिर,फिलिप अघियन और पीटर होविट को देने की घोषणा की. अकादमी ने इन अर्थशास्त्रियों के नामों की घोषणा करते हुए कहा मोकिर ने हमें यह बताया कि कैसे नवाचार प्रगति के लिए प्रेरणा प्रदान करता है. उन्होंने बताया कि प्रौद्योगिकी तेज़ी से आगे बढ़ती है और हम सभी को प्रभावित करती है. नए उत्पाद और उत्पादन विधियाँ पुराने उत्पादों और उत्पादन विधियों का स्थान ले लेती हैं. इस प्रकार निरंतर आर्थिक विकास चलता रहता है. अकादमी ने अघियन और होविट के कार्यों के विषय में कहा कि दोनों अर्थशास्त्रियों ने यह व्याख्या की है कि रचनात्मक विनाश कैसे निरंतर आर्थिक विकास को प्रेरित करता रहता है.

> उन्होंने बताया कि जब कोई नया और बेहतर उत्पाद बाजार में आता है तो पुराने उत्पाद बेचने वाली कंपनियाँ पिछड़ जाती हैं. यह नवाचार रचनात्मकता का प्रतीक होता है, हालांकि यह विनाशकारी भी है, क्योंकि जिस कंपनी की तकनीक पुरानी हो जाती है, वह प्रतिस्पर्धा में पिछड़ जाती है. इस प्रकार यह रचनात्मक विनाश संघर्ष पैदा करता है, जो लाभदायक होता है.

ईडी ने श्रीसन फार्मा के 7 ठिकानों पर की छापेमारी

- कफ सिरप से बच्चों की मौत के मामले में बड़ी कार्रवाई

चेन्नई, 13 अक्टूबर. कोल्ड्रिफ कफ सिरप से कई बच्चों की मौत के मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए श्रीसन फार्मा के चेन्नई स्थित ठिकानों और तमिलनाडु ड्रग कंट्रोल विभाग के अधिकारियों के ठिकानों पर छापेमारी की है. यह छापेमारी धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत की गई है, जिन ठिकानों पर छापेमारी की गई है, उनमें तमिलनाडु औषधि नियंत्रण कार्यालय (ड्रग कंट्रोल विभाग) के शीर्ष अधिकारियों के आवास भी शामिल हैं. यह कार्रवाई ईडी द्वारा मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में श्रीसन फार्मास्युटिकल्स के खिलाफ दर्ज पुलिस शिकायतों का संज्ञान लेते हुए धन शोधन विरोधी कानून के तहत एक आपराधिक मामला दर्ज होने के बाद की गई.

आज का इतिहास

1933 -जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के समूह से बाहर आने की घोषणा की.

1943 -जापान ने फिलीपींस की स्वतंत्रता की घोषणा की.

1948 -इजरायल -मिस्र के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरु.

1953-भारत में संपदा शुल्क अधिनियम प्रभाव में आया.

1979 - जर्मनी के बॉन में परमाणु ऊर्जा के खिलाफ 1 लाख लोगों का प्रदर्शन

2000 - संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा पाक समेत 22 देशों में अपने दूतावास बंद.

2002 - कतर में मिलने के वायदे के साथ 14वें एशियाई खेलों का बुसान में रंगारंग समापन.

मंत्री शिवराज ने की प्रगति की समीक्षा

- खरीफ बुवाई क्षेत्रफल में 6.51 लाख हेक्टेयर की बढ़ोतरी,
- कुल क्षेत्रफल 1121.46 लाख हेक्टेयर हुआ

नई दिल्ली, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज एक उच्चस्तरीय बैठक में कृषि क्षेत्र की प्रगति की समीक्षा की. बैठक में देशभर में खरीफ फसल की स्थिति, रबी फसल की बुवाई, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में फसलों की स्थिति, मूल्य स्थिति, उर्वरक उपलब्धता, जलाशयों की स्थिति सहित विभिन्न विषयों पर विस्तारपूर्वक चर्चा हुई. केंद्रीय मंत्री चौहान ने इस दौरान विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. बैठक में अधिकारियों ने खरीफ की बुवाई के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि खरीफ फसलों के अंतर्गत कुल क्षेत्रफल कवरेज पिछले वर्ष की तुलना में 6.51 लाख हेक्टेयर अधिक है.

न्यायालय अपर जिला दण्डाधिकारी (डॉ. रिंकेश कुमार वैश्य), जिला इंदौर

(प्रशासनिक संकुल कक्ष क्र.-जी 11)

क्रमांक/432/अकरी/2025 इंदौर दिनांक- 09/10/2025

प्रकरण क्र./0116/ब-121/2025-26

पेपर विज्ञप्ति

प्रति,

1. **हेमराज भदानिया, पता :** 293 दतोदा मह बैंक ऑफ इंडिया के पास चोखी धानी खंडवा रोड़ दतोदा, मह 452020
2. **अभिषेक मुंडेल, पता :** 466 खंडवा रोड़ दतोदा इंदौर, मह 452020 इंदौर (म.प्र.)

द्वारा :- पेपर प्रकाशन।

--00--

प्राधिकृत अधिकारी एच.डी.एफ.सी. बैंक लिमिटेड, ब्रांच पता- एच.डी.एफ.सी. बैंक लि. पी.एस.पी. स्कीम नं. 94 सेकटेर बी. रिंग रोड़ बॉम्बे हॉस्पिटल के पीछे इंदौर (म.प्र.) द्वारा निवेदन किया गया कि बंधक संपत्ति **Vehicle JCB 3DX XTRA-BACKHOE Pruduct :- COMMERCIAL EQUIPMENT RETAIL LOAN Registration No. MP9GJ891, Chasis No. AJ3DXS4T03123521, Engine No. :- H00326706** पर बकाया ऋण राशि का चुकारा आपके द्वारा नहीं किया गया है और ना ही प्रतिभूति सम्पत्ति का कब्जा ही सौंपा गया है। अत: वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुर्नगठन और प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम की धारा 14 में प्रतिभूति के रूप में रखी सम्पत्ति का कब्जा दिलया जावे।

अत: इस संबंध में एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि मामले की सुनवाई हेतु न्यायालय अपर कलेक्टर, जिला इंदौर कक्ष क्रमांक जी-11 में **दिनांक 15.10.2025** को दोपहर 3 बजे होगी। आप प्रकरण के संबंध में समस्त दस्तावोज व साक्ष्य सहित उपस्थित रहें। आपकी अनुपस्थिति की दशा में एक पक्षीय कार्यावाही की जावेगी।

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी
जिला इंदौर (म.प्र.)

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला- धार (म.प्र.)

फोन- 07292-234702, Email-modgmdha@mp.gov.in

पत्र क्रमांक./2899/खनिज/2025-26 धार, दिनांक :08/10/2025

(म.प्र. गौण खनिज नियम 1996 के नियम 18(1-क) के अंतर्गत उत्खनिपट्टा प्राप्त करने के लिए)

द्वितीय सूचना

यह सूचित किया जाता है कि आवेदक **मेसर्स जैद कन्स्ट्रक्शन एंड सप्लायर्स प्रो. फिरोज खान पिता छोटे खान निवासी ग्राम अमझेरा, तहसील सरदारपुर जिला धार (म.प्र.)** द्वारा उत्खनिपट्टा प्राप्त करने हेतु निम्न क्षेत्र पर ऑनलाईन आवेदन पत्र **दिनांक 19.08.2025** को प्रस्तुत किया गया है। इस क्षेत्र पर आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु प्रथम सूचना क्रमांक 2527/खनिज/202-26, दिनांक 25.08.2025 से प्रकाशित की गई थी। इस क्षेत्र पर पुन: दिनांक 25.10.2025 तक इस क्षेत्र पर यथास्थिति उत्खनिपट्टा आवेदन आनलाईन आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदन ई-खनिज पोर्टल **https://ekhanij.mp.gov.in** पर प्रस्तुत किये जाएंगे।

आवेदन का संक्षिप्त विवरण

जिला	तहसील	ग्राम	खसरा नंबर	पैकी रकबा हेक्टर में	भूमि का प्रकार	खनिज का का नाम	रिमार्क
धार	सरदारपुर	खरेली	945 958	4.000 हे.	शासकीय भूमि	पत्थर/गिट्टी मुरम एम-सेंड	
			कुल रकबा	4.000			

1. उपरोक्त प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन पत्र में आवेदित क्षेत्र के संबंध में अन्य इच्छुक आवेदकों से विज्ञप्ति प्रकाशित होने की तारीख से आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक (कार्यालयीन समय सांय 5.30 बजे तक) ऑनलाईन आवेदन पत्र आंमत्रित किये जाये है।
2. यदि प्रकाशित विज्ञप्ति के उपरांत आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक 03 अथवा उससे अधिक अन्य आवेदकों के आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं, तो प्रथम आवेदन पत्र एवं प्राप्त सभी आवेदन पत्रों को म.प्र. गौंण खनिज नियमावली 1996 के नियम 21 के तहत् अधिमान्यता तय करने के आशय से उसी दिन प्राप्त किया गया समझा जाएगा।
3. यदि प्रकाशित विज्ञप्ति मे उल्लेखित आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि तक 03 से कम आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं तो उपरोक्त अवधि में प्राप्त आवेदन पत्र तथा पूर्व में प्रेषित अवधि के दौरान प्राप्त सभी आवेदन पत्रों का मप्र. गौण खनिज नियम 1996 के नियम 21 के तहत् अधिमान्यता तय करने के आशय से उसी दिन प्राप्त किया गया समझा जाएगा।
4. यदि प्रथम एवं द्वितीय प्रकाशित विज्ञप्ति के उपरांत भी निर्धारित समयावधि मे अन्य कोई आवेदन पत्र प्राप्त नहीं होता है तो प्रथम आवेदक के पक्ष में नियमानुसार खनि रियायत स्वीकृति पर विचार किया जा सकेगा।
5. निर्धारित समयावधि के उपरांत प्राप्त आवेदन पत्रों को विचार मे नहीं लिया जाएगा।

जिला खनि अधिकारी, खनिज शाखा
कार्यालय कलेक्टर जिला धार

जी -19891/25

टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड

TATA

पंजी. कार्यालय : 11 वीं मंजिल, टॉवर ए, पेनिन्सुला बिजनेस पार्क, सेनापति बापट मार्ग, लोवर परेल, मुम्बई - 400013. संपर्क (022) 66069383

शाखा कार्यालय : 9/1/1, सुरज भवन, दूसरी मंजिल, यस बैंक के ऊपर, एम.जी. रोड़, इन्दौर -452001

मांग सूचना

प्रतिभूति हित (प्रत्यावर्तन) नियम, 2002(''नियम'') के नियम 3 के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुननिर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रत्यावर्तन अधिनियम, 2002 (''अधिनियम'') की धारा 13(2) के अधीन

जैसा कि **टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड** (टीसीएचएफएल) के अधोहस्ताक्षरी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अधिनियम के अधीन और नियमों के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारो का प्रयोग करते हुए नीचे दिए गए विवरण अनुसार इसमें सूचीबद्ध कर्जदारों/ सह कर्जदारों/गारंटरों (सभी को अकेले या एक साथ ''बाध्यताधारी'' कहा गया है) /कानूनी वारिसों/ कानूनी प्रतिनिधियों को संबंधित नोटिसों की तिथियों से 60 दिन के अंदर मांग सूचना मे निर्दिष्ट राशि का भुगतान करने की अपील करते हुए अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन विस्तृत मांग सूचना दिनांक जारी किए गए थे. कथित सूचना की प्रतियां पंजीकृत डाक ए.डी. द्वारा तामील की गई हैं और अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास उपलब्ध हैं और यदि कथित बाध्यताधारी/कानूनी वारिस/कानूनी प्रतिनिधि चाहें तो किसी भी कार्यालयीन दिवस को सामान्य कार्यावधि के दौरान अधोहस्ताक्षरी से संबंधित प्रति प्राप्त कर सकते है।

उपर्युक्त संबंध में एतद द्वारा कथित बाध्यताधारीयों/कानूनी वारिसों/ कानूनी प्रतिनिधियों को एक बार पुन: सुचित किया जाता है कि कथित बाध्यताधारियों द्वारा निष्पादित ऋण के करार एवं अन्य दस्तावेजों /विलेखों के साथ पठित नीचे कॉलम (डी) में संबंधित तिथि से भुगतान और/या वसुली की तिथि तक आगामी ब्याज सहित इसमें उनके संबंधित नामों के समक्ष निर्दिष्ट राशि संबंधित सूचना की तिथियों से 60 दिन के अंदर टीसीएचएफएल को भुगतान करें. कथित बाध्यताधारियों द्वारा निम्नलिखित सुरक्षित आस्तियां कर्ज के देय भुगतान की सुरक्षा के रूप मे टीसीएचएफएल के लिए गिरवी रखी गई है।

क्रं.	ऋण खाता क्रं.	बाध्यताधारीयों/कानूनी वारिसों/कानूनी प्रतिनिधियों के नाम	कुल बकाया देय (रु.) निम्नलिखित दिनांक तक	डिमांड नोटिस की तिथि एवं एनपीए की तिथि
1	TCHHF0284000100370243 & TCHHL0284000100362115 & TCHIN0284000100370402 & TCHIN0284000100362636	श्री राजेश मोर्या (ऋणी) श्रीमती पूजा मोर्या (सह ऋणी)	Rs. 8,34,043/- & Rs.39,103/- & Rs.7,10,492/- & Rs.34,319/-	01-10-2025 & 01-10-2025

सुरक्षित संपत्तियों/अचल संपत्तियों/बंधक संपत्तियों का विवरण: निवास ब्लॉक-सी, खसरा नं. 281/1, ग्राम पालदा तहसील एवं जिला इंदौर मध्य प्रदेश में स्थित है। निर्मित क्षेत्रफल 398 वर्ग फुट अर्थात 36.98 वर्ग मीटर। **चर्तुसीमाएं:** पूर्व : प्रकोष्ठ क्रं. 416, पश्चिम: एमओएस, उत्तर: खुला आकाश, दक्षिण: लॉबी

2	9851044 & 10632165 & TCHIN0284000100067472 & TCHIN0284000100152762 & TCHIN0284000100270676	राकेश कुमार राय (ऋणी) श्रीमती किरण देवी (सह ऋणी)	Rs.1,91,626/- & Rs.3,18,390/- & Rs.3,95,795/- & Rs.3,66,847/- & Rs.1,44,770/-	03-10-2025 & 01-10-2025

सुरक्षित संपत्तियों/अचल संपत्तियों/बंधक संपत्तियों का विवरण: अचल संपत्ति के समस्त भाग एवं अंश - प्लॉट नं. 1037 निर्माण सहित, विश्वास नगर, ग्राम बंजारी, तहसील मह, जिला इंदौर (मध्य प्रदेश), कुल क्षेत्रफल 450 वर्ग फीट, **चर्तुसीमाएं:** पूर्व : प्लॉट नं. 1036, पश्चिम: प्लॉट नं. 1038, उत्तर: प्लॉट नं. 1028, दक्षिण: रोड.

3	TCHHL0643000100092115 & TCHIN0643000100092991	श्री संजय पाटीदार (ऋणी) श्रीमती सीमा पाटीदार (सह ऋणी)	Rs.19,61,170/- & Rs.89,803/-	06-10-2025 & 03-10-2025

सुरक्षित संपत्तियों/अचल संपत्तियों/बंधक संपत्तियों का विवरण: प्लॉट नं. 19 का उत्तरी भाग, भूमि सर्वेक्षण नं. 129/1 पर, जीत नगर, राजगढ़, रतलाम जिला रतलाम मध्य प्रदेश में स्थित - कुल क्षेत्रफल 750 वर्ग फीट यानी (69.75 वर्ग मीटर), **चर्तुसीमाएं:** पूर्व : प्लॉट नं. 26 एवं 27 पर निर्मित मकान, पश्चिम: सड़क, उत्तर: प्लॉट नं. 20, दक्षिण: इसी प्लॉट का शेष भाग

*संबंधित मांग सूचना दिनांक में विशेष रुप से निदिष्ट दर पर आगामी ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, अदायगी और/या वसूली की तिथि तक उठाया गया आकस्मिक खर्च, लागत, शुल्क इत्यादि. यदि जैसा की ऊपर कहा गया है कथित बाध्यताधारी टीसीएचएफएल को भुगतान नहीं करेंगे तो टीसीएचएफएल खर्च एवं परिणाम के रुप में पूरी तरह से कथित बाध्यताधारीयों/कानूनी वारिसों/ कानूनी प्रतिनिधियों के जोखिम पर कथित अधिनियम की धारा 13(4) और लागू नियमों के अधीन उपर्युक्त सुरक्षित आस्तियों/अचल संपत्तियों के लिए कार्यवाही करेगा। कथित बाध्यताधारी/कानूनी वारिस/कानूनी प्रतिनिधि टीसीएचएफएल की पूर्व लिखित सहमति के बिना उपर्युक्तसुरक्षित आस्तियों/अचल संपत्तियो को बिक्री, पट्टा या अन्य किसी भी रुप में हस्तांतरित करने के लिए कथित अधिनियम के अधीन प्रतिबंधित हैं। अधिनियम के प्रावधानों या उसके अधीन बने नियमों का उल्लंघन या उल्लंघन करने के लिए उकसाने वाला व्यक्ति अधिनियम के अंतर्गत यथा विहित सजा और/या दंड का पात्र होगा।

हस्ता./-
प्राधिकृत अधिकारी
टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड

दिनांक : 14.10.2025
स्थान : इन्दौर, म.प्र.